राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य

(151)

therein and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 9-UJT/77.

क्र. ८१६०-११३५०-सोलह.—मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट, १९६० (२७ सन् १९६०) की धारा ४३ की उपधारा (५) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करता है कि उज्जैन के स्थानीय क्षेत्र के समाधानकर्ता (कंसीलियेटर) को निर्दिष्ट उज्जैन मिल मजदूर संघ, उज्जैन और विनोद मिल कंपनी, उज्जैन के बीच औद्योगिक विवाद में सम्मिलित और नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित कुछ औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक १ यूजेटी-७७

No. 8160 11850-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960), the State Government hereby notifies that no-settlement was arrived at in the Industrial Dispute between The Ujjain Mill Mazdoor Sangh and the Vinod Mills Co., Ujjain in regard to some of the industrial matters included therein and specified in the Schedule below, referred to the Conciliator for the local area of Ujjain :—

SCHEDULE

Industrial Dispute No. 1-U-JT-77

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कि. वि. सिंह, उपसचिव.

वन-विभाग

भोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-दस-२.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक ५३ सन् १९७२) की धारा १८ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र को मगर एवं घड़ियाल तथा अन्य पशु-पक्षियों के लिये राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य घोषित करता है.—

परिशिष्ट

जिला—मुरैना एवं भिण्ड.

वन मंडल का नाम—श्योपुर, मुरैना.

अभयारण्य का नाम—राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य.

क्षेत्र का रकबा—३५८२ वर्ग किलोमीटर.

सीमा

उत्तर—मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा.

पश्चिम—मध्यप्रदेश-राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी के उस स्थान तक जहां चम्बल दाहिनी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण—चम्बल दाहिनी मुख्य नहर का उत्तरी भाग, उस स्थान से जहां वह पार्वती नदी को पार करती है, तत्पश्चात अम्बा शाखा नहर का उत्तरी किनारा राष्ट्रीय मार्ग क्र. ३ को मिलाने तक तत्पश्चात राष्ट्रीय मार्ग क्र. ३ दक्षिण की ओर क्वांरी नदी तक तत्पश्चात क्वांरी नदी का उत्तरी किनारा मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश की सीमा तक.

पूर्व—मध्यप्रदेश-उत्तरप्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा क्वांरी नदी से उत्तर की ओर चम्बल नदी तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. जे. ओक, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक २० दिसम्बर १९७८

क्र. १५-५-७७-दस-२.—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. १५-५-७७-दस-२, दिनांक २० दिसम्बर १९७८ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 20th December 1978

No. F. 15-5-77-X(2).—In exercise of the powers conferred by section 18(i) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972), the Madhya Pradesh State Government hereby declare the area specified in Schedule below as game sanctuary under the act for Crocodiles and Charials and animals birds in the said sanctuary :—

Schedule

District—Morena and Bhind.

Name of Division—Sheopur, Morena.

Name of Sanctuary—National Chambal Sanctuary.

Area—3582 Sq. Km.

Boundaries

North—The inter-State boundary of Madhya Pradesh-Rajasthan and Madhya Pradesh-Uttar Pradesh.

(152)

East.—The State boundary between Orissa and Madhya Pradesh along the Kolab river (Comprising boundaries of Comptt. 62, 65, 66 and 325).

South.—Starting from Kolab river, southern boundaries of Kanger Reserve Forest, Comptt. No. 325, 324, 323, 322 and the ridge passing through the Comptt. Nos. 321, 320 and 318 of Kanger Reserve Forest extending to Kanger Reserve Forest, western boundary of Comptt. 330, 331, 332, southern boundary of Comptt. 334, 339, 340, 344 and continuing up to the ridge passing through Comptt. No. 345, 347, 294, 287 & 288 and southern boundary of Comptt. 174, 175.

West.—Western boundary of Comptt. 175, boundary of Kanger Reserve Forest, Comptt. 172 and Kakalgur Revenue Village, Southern, Western and Nothern boundary of Comptt. 171; Southern boundary of Comptt. Nos. 85, 86, 87, 168, 165, 164, Western boundary of Kanger Reserve Forest comprising boundaries of Comptt. Nos. 165, 163 & 91.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

क्र. 15-12-दस (2)-82.—वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. एफ. 15-5-77-दस (2), दिनांक 20 दिसम्बर 1978 का आंशिक संशोधन करते हुए नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गए क्षेत्र को मगर एवं घड़ियाल तथा अन्य वन्य जीवों के लिये राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य घोषित करता है:—

परिशिष्ट

जिला—मुरैना एवं भिंड

वन मंडल का नाम—श्योपुर, ग्वालियर (भू-संरक्षण)

अभयारण्य का नाम—राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य.

सीमा

उत्तर.—मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश-राजस्थान राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा.

पश्चिम.—मध्यप्रदेश-राजस्थान की अन्तर्राज्यीय सीमा पार्वती नदी के उस स्थान तक जहां चंबल दाहिनी मुख्य नहर पार्वती नदी को पार करती है.

दक्षिण.—कृत्रिम सीमा मध्यप्रदेश-राजस्थान एवं मध्यप्रदेश उत्तर-प्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा से एक किलोमीटर समानान्तर दक्षिण की ओर (स्थायी दूरी) पर पश्चिम से पूर्व की ओर पार्वती एवं चंबल नदी के किनारे जो गांव बड़ौदिया, बिन्दी, राधापुरा, बड़खेड़ा, अदोतपुरा, बड़ौदिया (गुसाई), कालूखेड़, बहड़ावद, पहाडली, पनवाड, राजारो, गुरनावदा (उत्तनवाड़ा) सांकली, पटपडा, आमल्दा, निमोदपीड, गांवडी, पानड़ी, जलालपुर, उडवाड, सूंडी, सीताखेड़ली, मखना खेड़ली, जुवाड़ मलारना, दलखा, बेहतेड़, इक्षना खेड़ली अड़सा, मुलादपाड़ा, लहचोड़ा, सामरसा, ऊंचाखेड़ा, विजपुरी, आवनी, जवासा, ढोंगनी, सेवापुर, सिरसोद, भानपुर, फतेहपुर, साकडोद, बगदिया, बरादरी, बिलोनी, खिरखिरी, दातेटी, बलावनी, खैरोदा खुर्द, मिलावली, सुनारा, अरोदरी, नीमच, मिपरानी, झिरोरा, बरौली, चैनपुरा, जमुरदी, बुआवली, नदीगांव, लिलौली, जिमीरक्षा, पांचों नितनवास, बरौठा, केमराकलान, केमराखुर्द, गड़ला, बन्धर, गोन्दौली, [illegible], डिगवर, खेड डिगवार, रोहुकागाव, गांजीखेड़ा, पालरी, बनवारा, नोरावली, खेरोल, खेरान, कलरघटी, झण्डपुरा कढावना, बरेन्ड, सिंगरौली, चिसौनीचम्बल, तिंदोखर, बिजगडी, मिलउवां, कोटरा, कोल्हुडांडा, गुरजा, खिनवरा, उत्तमपुरा, ताजपुर, सरसेनी, बिन्डवादेवगढ़, नंदपुरा, गुढा, चम्बल, खांडौली, कैथरी, विन्डवा, चम्बल जैतपुर, चम्बल भानपुर, नायकपुरा, गडोरा, गौरखा, रिठौरा खुर्द, जखोना, ऐसहा, कुथियाना, वीलपुर, किसरौल, अरौल, गोसबसई, मलवसई, गुंज, तिरोल, बरबेई, रतनवसई, अअर, रिठौरा, रछेड, लुधावली, उसैद, विडंवा, रायपुर, कदौना, कुरैठा, सिलावली, धौरी, नगरापोरसा, भदावली, चांपक, कपपुरा, कनैरा, खेरपट, नावली, विन्द्रावन, अटेर, रैपुरा, निण्डवा, सालीमपुर, खिपौनी डांगलरकार, पयेरा, जमसारा, अकोन, नखलौली, कोसठ, बिजोरा, लोगा, परिवापा, रमा, भगवंतपुर, जोरी, अहीर गढ़ा, चोचल, बेडरी, बड़ापुरा, रानीपुरा, नारीपुरा, बरही, समसा, सपोड, कुआवली, जवई, सरायां, ज्ञानपुरा, कुरौली, सांखरी, कांकरी [illegible] से गुजर कर जाती है.

पूर्व.—मध्यप्रदेश उतरप्रदेश राज्यों की अन्तर्राज्यीय सीमा (चम्बल नदी से एक किलोमीटर समानान्तर दूरी तक).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उप[illegible]

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर 1982

क्र. 4327-दस (दो)-82.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 15-12-दस (2)-82, दिनांक 24 दिसम्बर 1982 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

Bhopal, the 24th December 1982

No. 15-12-X(2)—82. In exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Act No. 53 of 1972) and in partial modification of this department notification No. F-15-5-77-10(2), dated the 20th December, 1978 the State Government hereby declare the area defined below as the National Chambal Sanctuary for Crocodile, Gharial and other wild animals.

SCHEDULE

District—Morena & Bhind.

Name of Division—Sheopur, Gwalior (Soil Conservation).

Name of sanctuary—National Chambal Sanctuary.

Boundary

North.—The inter state boundary of M. P. Rajasthan and U. P.

West.—The inter state boundary of M. P. Rajasthan along the Parvati river up to the point where the Chambal right main canal crosses the Parvati river.

South.—Artificial boundary running parallel at a distance of 1 Km. south of inter-state boundary of M. P., Rajasthan and U. P. but from West to East basins through the villages on the bank of the Parvati and Chambal river. viz. Badodi, Bindi, Radhapura, Badkheda, Adotpura, Badodia (Gusain) Kalukheda, Behadaband, Pahadli, Panwad, Rajora, Gurnawada, (Utanwad) Sankdali, Patpada, Amalda, Nimodapur, Gawandi, Panadi, Jalalpur, Udwad, Sundi, Sitakhedhi, Makhnakhedli, Juwad, Malarna, Dulkhan, Behted, Ekshna, Khedli, Adisa, Muladpada, Lahchouda, Samarsa, Unchakheda, Bichpuri, Awani, Jawasa, Dhogni, Sewapur, Sirsaud, Bhanpur, Fatehpur, Makdod, Bagdiya, Baradari, Biloni, Khirkhiri, Dateti, Balawani, Kheroda, Khurd, Milawali, Suthar, Arodari, Neemuch, Pipragi, Rizora Baroli, Chaimpura, Jamurdi, Buwawali, Nadigaon, Liloti, Jimiraksha, Panchaon, Nitanwas, Barotha, Khaimarakala, Kaimarakhurd, Gadula, Wanthar, Gandoli, Atar, Digwar, Khedadigwar, Rohukagaon, Ganjikheda, Palari, Banwara, Norwali, Khairol, Khairon, Kalarghati, Zundpura, Kadhawana, Barend, Singrouli, Chinnoni, Chambal, Tidokhar, Bijgarhi, Milauwa, Kotra Kalhu, Danda, Gurja, Dhinwara, Uttampura, Tajpur, Sarseni, Bindwa, Deogarh, Nandpura, Gadhachambal, Kandoli, Kaithari, Bindwachambal, Jaitpurchambal, Bhanpur, Naikpura, Gadora Gorkha, Rithora, Khurd, Jakhona Aisana, Kuthiyana, Bilpur, Kisroli Aroliy Gosbassi, Malwasai, Gunj, Tirol, Barwai, Haramwasa, Ruar, Hithora, Rached, Ludhavali, Used, Vindwa, Raipur, Kudauna, Kuretham Silawali, Dhorra, Nagaraporasa, Bhadawali, Chapak, Kachpura, Kanera, Kherghat, Nawli, Bindrawan, Ater, Repura, Vindwa Salimpur, Khipona, Dangsarkar, Nayera Jamsara, Akon, Nakhloli, Kosad, Bijora Loga, Priyapa, Rama, Bhagwantpur Joriahir, Gadha Chochad, Bedri, Badapura, Ranipura, Naripura, Barhi Samanna, Sapad, Kuawali, Jawai, Saraya, Gyanpura, Kuroli, Sankhri, Kanchai, Vindwa.

East.—Inter-state boundary of M. P. and U. P. running parallel up to the distance of 1 km. along the chambal river.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
J. B. LAL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-3-77-दस(2), दिनांक 22 मई 82 के अनुक्रमांक 5 खाना 4 में उल्लेखित "तथा अवर्गीकृत वन" शब्द अधिसूचना से काटे जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 1983

क्र. 18-1-83-दस-दो.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 18-1-83-दस-दो, दिनांक 27 जनवरी 1983 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. बी. लाल, उपसचिव.

(154)

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]   भोपाल, मंगलवार, दिनांक 31 जनवरी 2023—माघ 11, शक 1944

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक For/2/0004/2022-sec-2-10::वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 53 सन् 1972) की धारा 18 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 17 जून, 1983 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र.15-12-दस(2)-82 दिनांक 24 दिसम्बर, 1982 तथा वन्य प्राणी के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2022 को आयोजित राष्ट्रीय बोर्ड की स्टेडिंग कमेटी की 69वीं बैठक के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य के संरक्षण के लक्ष्य के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को उनकी अजीविका के लिए रेत आपूर्ति की व्यवस्थओं हेतु वन्य प्राणी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा अधिरोपित निम्न शर्तों के साथ अभ्यारण्य के आंशिक राजस्व क्षेत्र को अपवर्जित करती है।

प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए अनुशंसित किया गया:-

(1) प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि जल सीमा क्षेत्र या जल से घिरी हुई नदी में जल क्षेत्र या रेत जमाव में उत्खनन संबंधी क्रियाकलाप नही किए जायेंगे।

(2) रेत-खनन, रेत-परिवहन, रेत-भण्डारण एवं रेत-विपणन की संपूर्ण प्रक्रिया स्थापित प्रशासकीय निगरानी एवं नियामक प्रणाली के अधीन की जायेगी।

(3) नवीन नियंत्रक एवं नियामक प्रणाली की स्थापना करने के लिए रेत खनन से संबद्ध संभावित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के हेतु रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं विपणन के लिए क्षेत्र में रेत खनन निगम मार्या. अथवा विद्यमान मध्यप्रदेश खनन निगम लिमिटेड की एक शाखा स्थापित की जाएगी।

(4) अवैध उत्खनन की निगरानी और नियंत्रण के लिए तकनीकी, जैसे कि प्रत्येक पारगमन (ट्रांजिट) परमिट की बारकोडिंग; रायल्टी रसीद की बारकोडिंग; निकासी स्थलों पर सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम तौल मशीन, खनन पट्टों का जियो-टेग सीमांकन, इलेक्ट्रानिक निगरानी, परिवहन में सम्मिलित जीपीएस युक्त ट्रेक्टर/ट्रक, उत्खनन में भारी मशीनों का परिवर्जन आदि का उपयोग किया जाएगा।

(5) विमुक्त किए गए क्षेत्र का सीमा चिन्ह (Boundary Pillars) खड़े कर एवं जियो-टैगिंग द्वारा सुस्पष्ट रूप से सीमांकित किया जाएगा।

(6) रेत उत्खनन और चम्बल नदी में जलीय जीवों पर उसके प्रभाव के बारे में नियमित निगरानी एवं सूचना प्रणाली होगी।

(7) जैव विविधता क्षति को सुनिश्चित करने हेतु अभयारण्य क्षेत्र के आस-पास रेत उत्खनन का व्दि-वार्षिक प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। मूल्यांकन का वित्त पोषण राज्य एमएमडीसी/रेत खनन निगम निधि से किया जा सकेगा।

(8) पिछले 20 वर्षों में दर्ज की गई 3.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की प्रवाह में गिरावट की प्रवृत्ति को, चंबल नदी के लिए भविष्य के जल प्रबंधन कार्यक्रमों हेतु सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है।

अधिरोपित शर्तों के अनुसार, राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 24 दिसम्बर,1982 को आंशिक संशोधित करते हुए, इन भूमियों को निम्न सूची एवं मानचित्रों के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से अभयारण्य की सीमा से पृथक किया जाता है।

अनुसूची - 1

वन मण्डल- मुरैना

जिला- श्योपुर

तहसील- बढ़ौदा

स्थल/घाट का नाम – बड़ौदिया बिन्दी

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
कुंहाजापुर	217	75.828	2.403	A	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E
				B	25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
बड़ौदिया घाट	1	15.60	7.086	C	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E
				D	25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E
				F	25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E
				H	25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
योग			9.489		

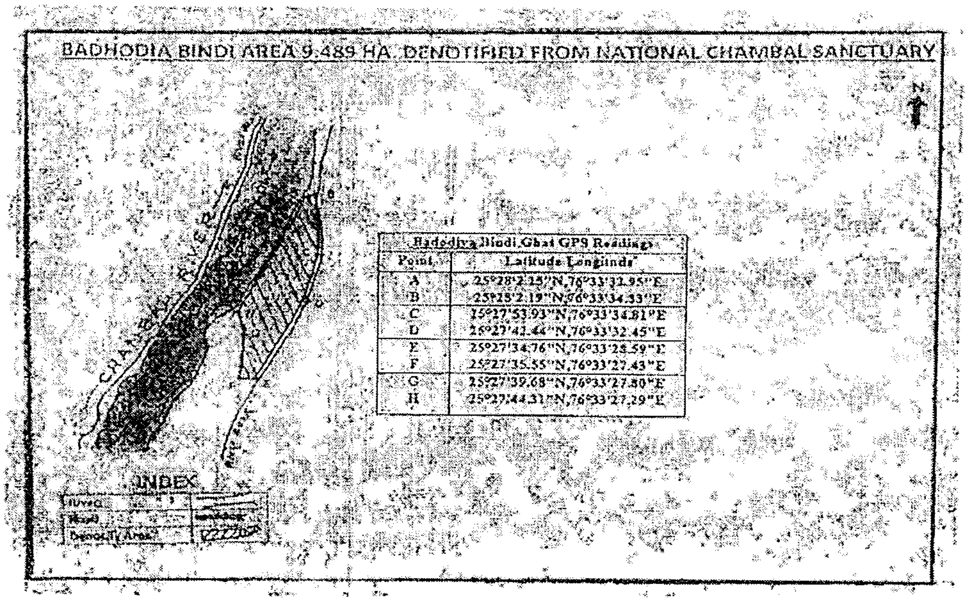

157

अनुसूची - 2

वन मण्डल- मुरैना

जिला- मुरैना

तहसील- जौरा/मुरैना

स्थल/घाट का नाम - बरवासिन

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
खाण्डौली (तह.-जौरा)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
कैथरी (तह.-मुरैना)	2	17.62	15.50	G H	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E 26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
	103	11.432	9.51	I J	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E 26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D E A K	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E 26°36'33.92"N,77°52'07.27"E 26°36'06.58"N,77°50'08.32"E 26°36'01.65"N,77°50'11.97"E
योग			118.66		

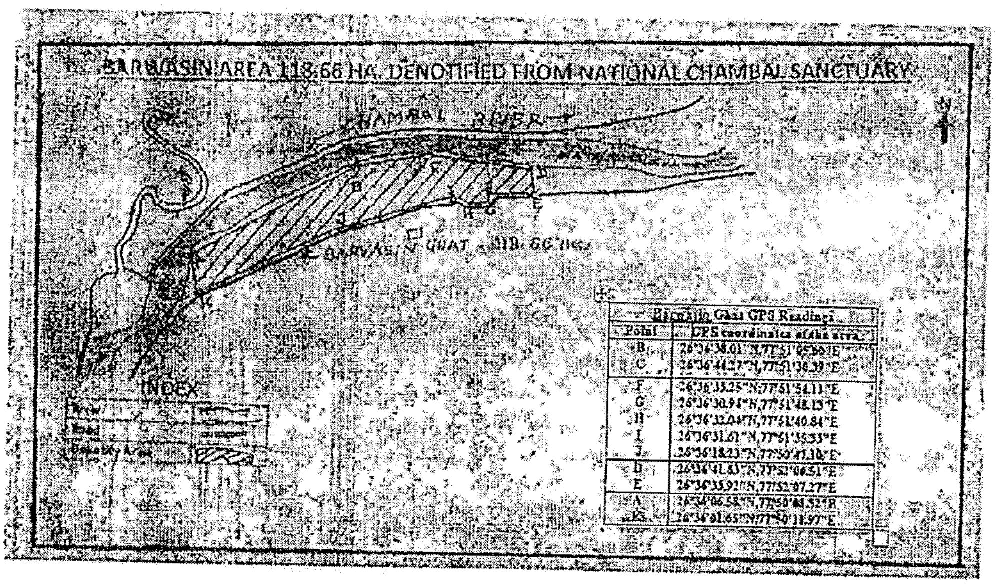

अनुसूची - 3

वन मण्डल- मुरैना

जिला- मुरैना

तहसील- मुरैना

स्थल/घाट का नाम - राजघाट

राजस्व ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	सर्वे क्रमांक कुल क्षेत्रफल (हे. में)	राष्ट्रीय चम्बल अभ्यारण्य से बाहर किया जाने वाला (हे. में)	बिन्दु	क्षेत्र के जीपीएस निर्देशांक
1	2	3	4	5	6
भानपुर	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
				L	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
				M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	17	02.38	0.80	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E
पिपरई	2	03.49	2.40	O	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E
	177	19.51	17.91	P	26°39'30.80"N,77°54'58.65" E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10" E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60" E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23" E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E
				H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
	239	28.40	14.60	U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E
योग			78.90		

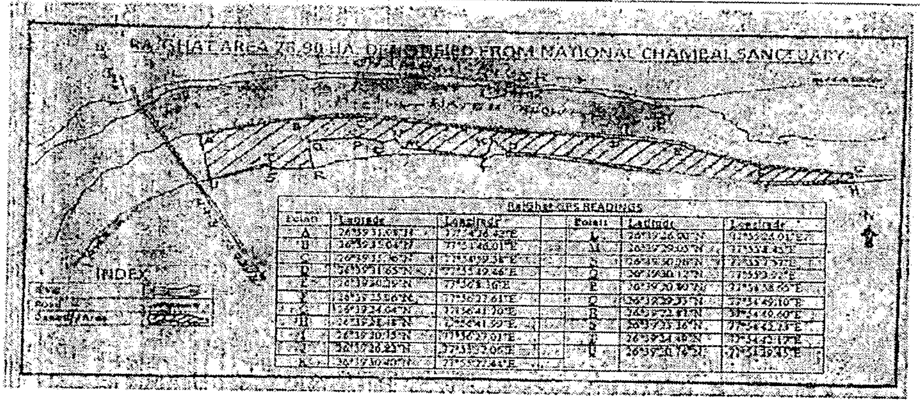

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2023

क्रमांक **For/2/0004/2022-sec-2-10::** भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक **For/2/0004/2022-sec-2-10,** दिनांक 31/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, उपसचिव.

Bhopal, the 31st January, 2023

For/2/0004/2022-sec-2-10::In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and in pursuance of this department's Notification No.15-12-X (2)-82 dated 24th December, 1982 published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th June, 1983 and the 69th meeting of the Standing Committee of the National Board Wildlife was held on 29th July, 2022, the State Government, hereby, exclude the partial revenue area of the sanctuary with the aim of protection of the National Chambal Sanctuary as well as for the provision of sand supply to the local residents for their livelihood with below condition imposed by National Board Wildlife.

The proposal was recommended subject to the following conditions, namely :-

(1) The administration will ensure that mining related activities will not be done in water zone or sand bars in the river surrounded by waters.

(2) The entire process of sand-mining, sand-transport, sand-storage and sand-marketing will be done under well-established administrative, monitoring and regulatory system.

(3) To establish a new control and regulation system, Sand Mining Corporation Ltd or a branch of existing Madhya Pradesh Mining Corporation Ltd shall be established in the region for the mining, transport, storage and marketing of sand to plug possible illegal activities connected with sand mining.

(4) Technology shall be used to monitor and control illegal mining like barcoding of each Transit Permit; Barcoding of royalty receipts; IT enabled weighing balance at exit points; geo-tagged demarcation of mining leases; electronic surveillance; GPS fitted tractors/trucks involved in transporting; avoidance of heavy machinery in digging etc.

(5) The de-notified area shall be clearly demarcated on the ground by erecting boundary pillars and geo-tagging.

(6) There shall be regular monitoring and reporting system about the sand mining and its impact on aquatic fauna in the Chambal River.

(7) Biennial impact assessment of sand mining needs to be done around sanctuary area to ascertain the biodiversity loss. Funding of the assessment may be done from the State MMDC/Sand Mining Corporation Fund.

(8) The declining trend of flow of 3.5% per annum recorded over the last 20 years needs to be factored in for future water management programmes for Chambal River.

As per the levied condition, by partially amending the notification of the State Government dated 24th December, 1982 these lands are separated as per the following list and maps from the boundary of the sanctuary from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

SCHEDULE-I

Division-Morena
Distriot-Sheopur
Tehsil-Badhoda
Name of Site/Ghat-Badhoda Bindi

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Kunhajapur	217	75.828	2.403	A B	25°28'2.25"N,76°33'32.95"E 25°28'2.19"N,76°33'34.33"E
Badhodia Ghat	1	15.60	7.086	C D	25°27'53.93"N,76°33'34.81"E 25°27'42.44"N,76°33'32.45"E
				E F	25°27'34.76"N,76°33'28.59"E 25°27'35.55"N,76°33'27.43"E
				G H	25°27'39.68"N,76°33'27.80"E 25°27'44.31"N,76°33'27.29"E
Total			**9.489**		

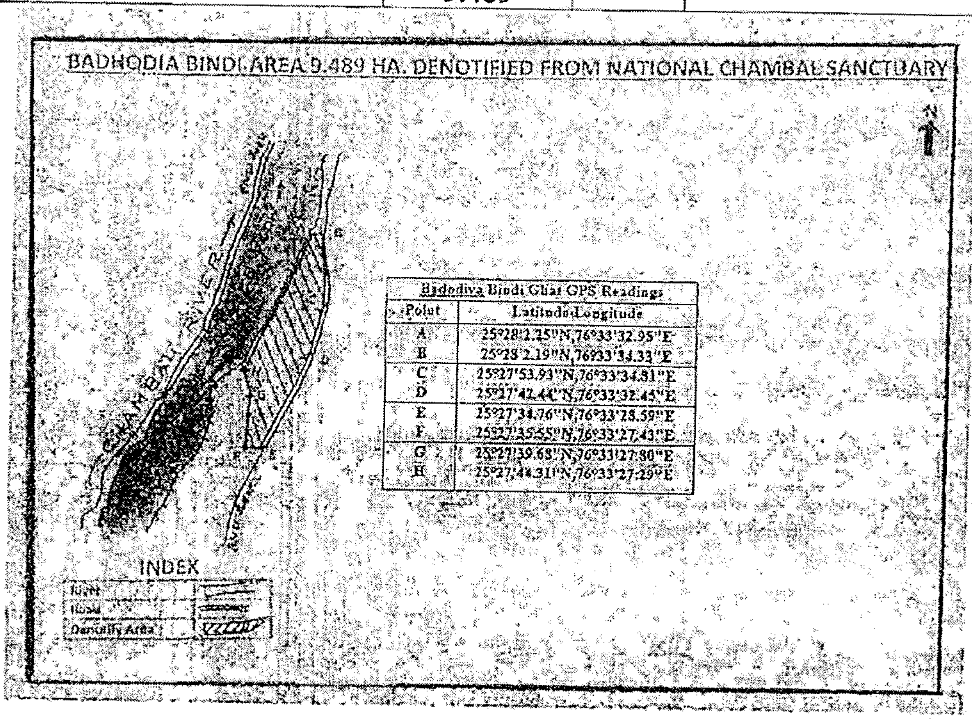

SCHEDULE-II

Division- Morena,
District Morena
Tehsil- Jora/Morena
Name of Site/Ghat- Barwasin

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Khandoli (Teshil-Jora)	852/1	40.661	32.45	B	26°36'38.01"N,77°51'05.60"E
	852/2	05.894	04.00	C	26°36'44.27"N,77°51'30.39"E
	746	67.706	56.40	F	26°36'33.25"N,77°51'54.11"E
Kenthri (Teshil-Morena)	2	17.62	15.50	G	26°36'30.94"N,77°51'48.13"E
	103	11.432	9.51	H	26°36'32.04"N,77°51'40.84"E
				I	26°36'31.61"N,77°51'35.33"E
				J	26°36'18.23"N,77°50'47.10"E
	101	01.327	0.80	D	26°36'41.63"N,77°52'06.51"E
				E	26°36'33.92"N,77°52'07.27"E
				A	26°36'06.58"N,77°50'08.32"E
				K	26°36'01.65"N,77°50'11.97"E
Total			118.66		

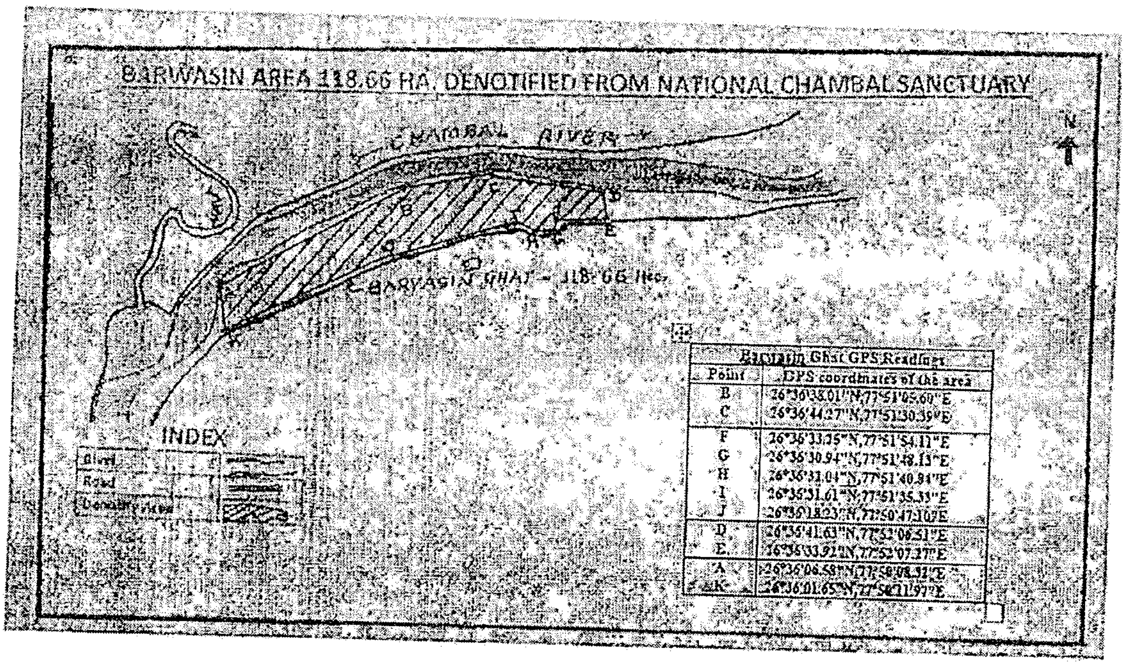

SCHEDULE-3

Division- Morena,
District- Morena
Tehsil- Morena
Name of Site/Ghat- Rajghat

Village Name of Revenue	Survey No.	Survey No. Total area (In ha.)	To be carried out of National Chambal Sanctuary (In ha.)	Point	GPS coordinates of the area
1	2	3	4	5	6
Bhanpur	2	25.30	21.05	B	26°39'35.04"N,77°54'46.01"E
	3	01.34	01.34	C	26°39'35.76"N,77°54'59.58"E
				D	26°39'31.65"N,77°55'49.46"E
				E	26°39'30.29"N,77°56'08.36"E
				F	26°39'25.26"N,77°56'27.61"E
	14	01.50	0.80	I	26°39'20.75"N,77°56'27.01"E
	15	01.50	0.80	J	26°39'26.82"N,77°55'32.06" E
	16	0.39	0.39	K	26°39'30.40"N,77°55'27.44" E
	17	02.38	0.80	L	26°39'26.00"N,77°55'26.01" E
Piprai	2	03.49	2.40	M	26°39'29.05"N,77°55'08.45"E
	177	19.51	17.91	N	26°39'30.26"N,77°55'07.57" E
				O	26°39'30.12"N,77°55'03.92" E
				P	26°39'30.80"N,77°54'58.65" E
				Q	26°39'29.33"N,77°54'49.10" E
				R	26°39'22.87"N,77°54'49.60" E
				S	26°39'23.26"N,77°54'42.23" E
				T	26°39'24.49"N,77°54'42.17" E
	180	03.10	2.10	G	26°39'24.04"N,77°56'41.70"E
				H	26°39'21.48"N,77°56'41.99"E
	236	28.39	16.71	A	26°39'31.08"N,77°54'26.42"E
	239	28.40	14.60	U	26°39'20.74"N,77°54'29.45"E
Total			78.90		

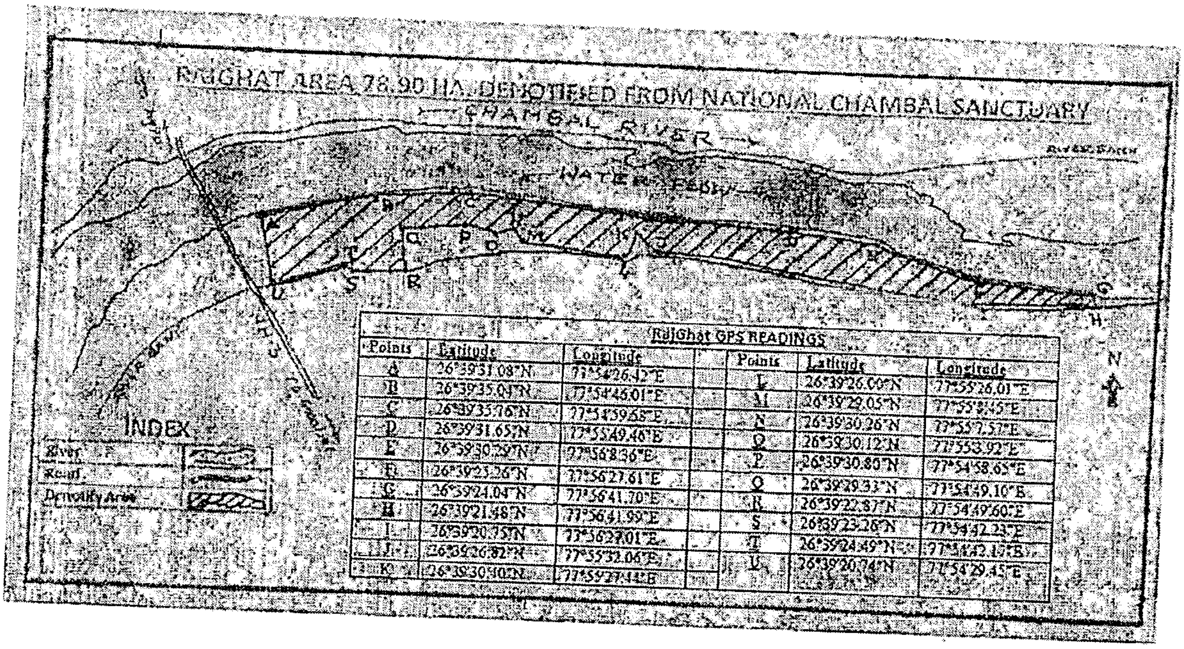

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG KUMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.